न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
60 / अपील / 2016	27.06.2016	09.08.2019

1. रामप्रसाद आ. कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

—अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं0 647 दिनांक 18.06.1986
ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली।

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से — श्री श्याम दत्त दाधिच, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार।

—: निर्णय :—

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 18.06.1986 ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्ट को भूमि खसरा नं. 2249 रकबा 04 बीघा आवंटन होने से तरमीम व पट्टा की कमी बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष अपीलान्ट सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट को मिसल नं. 238 / 1986 दिनांक 23.05.1986 ग्राम दबलाना राजस्व अभियान में भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नं. 2249 मि. रकबा 44 बीघा 19

बिस्वा में से 04 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। भूमि की आवंटन राशि व पट्टा फीस भी अपीलांट द्वारा जमा करा दी गई थी तथा अपीलान्ट को मौके पर कब्जा भी दे दिया गया था। आवंटित भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट का नामा. पटवारी द्वारा दिनांक 08.06.1986 को दर्ज कर दिया गया था तथा भू–अभिलेख द्वारा जांच भी की जा चुकी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने दिनांक 18.06.1986 को अपीलाधीन नामा. पट्टा व तरमीम के अभाव में खारिज कर दिया है। उक्त निर्णय वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत पारित किया गया है। अपीलाधीन नामा. निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक को भी नहीं सुना गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलान्ट को किया गया भूमि आवंटन निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.06.1986 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.1986 से नामा. आवंटित भूमि की तरमीम व पट्टा के अभाव में खारिज किया गया है जो उचित एवं न्यायसंगत है। आवंटित भूमि का कुल रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा है तथा अपीलान्ट को उसमें से 04 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है। मौके पर आवंटी का कब्जा कोनसे स्थान पर है, पटवारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है तथा आवंटन राशि व पट्टा फीस किस रसीद से जमा हुई है यह भी पटवारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा. सं. 647 तरमीम व पट्टा के अभाव में खारिज किया गया है जो उचित एवं न्याय संगत है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–647 दिनांक 18.06.1986 ग्राम दबलाना को अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा व तरमीम के अभाव में खारिज किया गया है। उक्त नामा. अपीलान्ट को भूमि खसरा नं. 2249 मि. रकबा 04 बीघा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.05.1986 को कृषि प्रयोजनार्थ की गई आवंटित भूमि के आधार पर पटवारी द्वारा नामा. दर्ज किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने आवंटन की राशि व पट्टा फीस जमा हो चुकी है तथा मौके पर कब्जा दिया जा चुका है। जिसकी जांच भू–अभि. निरीक्षक द्वारा की जा चुकी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तरमीम व पट्टा के अभाव में नामा. खारिज किया गया है। तरमीम कार्य व पट्टा जारी करने का कार्य अपीलांट (आवंटी) का नहीं है। नामा. खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट (आवंटी) को सुनवाई का व दस्तावेज

पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.06.1986 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय (नामा.) पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)